मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन,भोपाल—462004

क्रमांक एफ 73—40/2010/20—3 भोपाल,दिनांक ....

प्रति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

विषय :— अशासकीय शिक्षण संस्था होली फमिली कान्वेंट स्कूल,इंदौर को सी.बी.एस.ई.,नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ती प्रमाण—पत्र देने के संबंध में।

——0000——

राज्य शासन द्वारा विषयांकित संस्था द्वारा आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर संस्था को सी.बी.एस.ई. से सम्बद्धता हेतु यह अनापत्ति प्रमाण—पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :—

(1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी संस्था/समिति द्वारा म.प्र. शासन एवं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय—समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।

(2) संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में जिला शिक्षा अधिकारी, इंदौर (म0प्र0) अथवा उनका एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी में सम्मिलित करना होगा।

(3) शिक्षण संस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्था के संबंध में समय—समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था को करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सी.बी.पड़वार)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

Sr. Gann
Principal
Holy Family Convent School
CBSE Affil. No. 1030626
P.O. Vijay Nagar, INDORE 452010

पृ०क्र० एफ क्रमांक एफ 73–40 / 2010 / 20–3 भोपाल,दिनांक 26/6/10

प्रतिलिपि :–

1– सचिव,अशासकीय शिक्षण संस्था हाली फेमिली कान्वेंट स्कूल, इंदौर (म०प्र०) को सी.बी.एस.ई. से सम्बद्धता मान्यता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है –

(1) संस्था सी.बी.एस.इ. के अनुरूप मापदण्डों की पूर्ति करती है अथवा नहीं, इसका परीक्षण केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किया जायेगा।

(2) संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत आवेदन पत्र या शपथ–पत्र में दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर या उसका पालन नहीं करने पर अथवा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर या प्राप्त शिकायत जांच में सही पाये जाने पर राज्य शासन द्वारा जारी अनापत्ती प्रमाण–पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

2– आयुक्त,लोक शिक्षण,भोपाल,म.प्र.,।

3– जिला शिक्षा अधिकारी, जिला इंदौर म०प्र०।

4– ऑर्डर बुक ।

(हस्ताक्षर)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

26/6/10